सीएसआईआर–भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं. 80, लखनऊ-226001
CSIR-Indian Institute of Toxicology Research
Vishvigyan Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Post Box No.80, Lucknow-226001

विज्ञापन संख्या: IITR/1/2026

ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि एवं समय : 20/01/2026 प्रातः 10:00 बजे
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 19/02/2026 सायं 05:00 बजे

भारतीय नागरिकों हेतु सुनहरा अवसर

सीएसआईआर- भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-आईआईटीआर) लखनऊ, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली की एक घटक प्रयोगशाला है। सीएसआईआर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। सीएसआईआर-आईआईटीआर एक बहुविषयक अनुसंधान संस्थान है। इसका आदर्श वाक्य : "पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा उद्योग की सेवा" है। संस्थान मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान प्रदान करता है।

निम्नलिखित सूचना के अनुसार, मल्टी-टास्किंग स्टाफ के कुल 03 पदों एवं चालक(ड्राइवर) के 03 पदों हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं: -

पोस्ट कोड	पद का नाम, कुल पदों की संख्या एवं आरक्षण	सातवें पे मैट्रिक्स में पे-लेवल	*कुल परिलब्धियाँ	अनिवार्य योग्यता	**ऊपरी आयु सीमा (आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को)
एम 01	**मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)** (नॉन टेक ग्रुप 'सी') 03 (तीन), यूआर – 02, ओबीसी – 01	लेवल- 1 (रु.18,000-56,900)	लगभग ₹ 34,200/- प्रति माह	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण	**25 वर्ष** (आयु सीमा में छूट : वर्तमान नियमों के अनुसार)
डी02	**चालक (ड्राइवर)** (ग्रुप 'सी') 03 (तीन), अनारक्षित – 01, ईडब्ल्यूएस – 01, एससी – 01	लेवल 2 (रु.19,900 - 63,200)	लगभग ₹ 37,600/- प्रति माह	(i) LMV एवं HMV चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) होना चाहिए। (ii) मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-मोटी खराबी दूर करने में सक्षम होना चाहिए); (iii) कम से कम 3 वर्ष तक मोटर कार चलाने का अनुभव; एवं (iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो	**27 वर्ष** (आयु सीमा में छूट : वर्तमान नियमों के अनुसार)

*कुल परिलब्धियों का अर्थ यह है कि न्यूनतम स्केल पर प्रतिमाह प्राप्त होने वाली लगभग कुल परिलब्धियाँ, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), ट्रांसपोर्ट अलाउंस सम्मिलित है, जो कि नियमानुसार 'Y' श्रेणी के शहर में मिलता है।

**अलग-अलग कैटेगरी के अभ्यर्थी को आयु में प्राप्त छूट हेतु कृपया छूट खंड (रिलैक्सेशन क्लॉज़) देखें।

संक्षिप्त शब्दों का अर्थ रूप: **यूआर-** अनारक्षित , **एससी** – अनुसूचित जाति, **ओबीसी** – अन्य पिछड़ा वर्ग, **ईडब्ल्यूएस** – आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ।

विस्तृत जानकारी के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें या संस्थान की वेबसाइट https://iitr.res.in/ पर जाएं।

- **<u>मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद हेतु कार्य की आपेक्षाएँ / कार्य की प्रकृति:</u>**
  - कार्यालय /प्रभाग /अतिथि गृह आदि के अभिलेखों का भौतिक/ऑनलाइन रखरखाव ।
  - कार्यालय /प्रभाग /अतिथि गृह /अनुभाग आदि की सामान्य साफ-सफाई/धूल आदि हटाना एवं रख-रखाव।
  - फ़ाइलें एवं दस्तावेजों को अन्य कार्यालय /प्रभाग /अतिथि गृह आदि को ले जाना व लाना।
  - कागजातों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग, बाइंडिंग एवं फाइलिंग आदि।
  - डाक की प्राप्ति एवं वितरण।
  - अनुभाग को खोलना एवं बंद करना।
  - अनुसंधान और विकास गतिविधियों में सहायता करना ।
  - अतिथि-गृह का शुल्क संग्रह करना एवं संग्रहीत धन का प्रेषण।
  - अतिथिगण की शिकायतें, पूछ-ताछ एवं आवश्यकताओं आदि के निवारण संबंधी कार्य ।
  - स्टाफ/अतिथिगण हेतु चाय /कॉफी/स्नैक्स/कुकीज़ बनाना एवं आपूर्ति करना
  - यदिआवश्यक हो, तो पदधारी को पारियों में ड्यूटी(शिफ्ट ड्यूटी) करना ।
  - बगीचों (गार्डन्स) एवं हरे-भरे स्थानों का रखरखाव एवं अनुरक्षण।
  - पौधे लगाना और उनका पोषण तथा देखभाल करना एवं बगीचे के रखरखाव संबंधी गतिविधियाँ, जैसे लॉन की घास काटना, हेजेज की छंटाई, निराई एवं अवशेष हटाना ।
  - पौधों को पानी देना, उर्वरक डालना एवं कीट नियंत्रण संबंधी कार्य
  - कार्य क्षेत्र से संबंधित अभिलेख का भौतिक रखरखाव एवं स्टॉक इंट्री लॉगबुक संबंधी कार्य ।
  - सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य /जॉब पूर्ण करना ।

- **<u>ड्राइवर के पद हेतु कार्य अपेक्षाएं / कार्य की प्रकृति:</u>**

  - स्टाफ /या सामान को सुरक्षित एवं सुचारु रूप से लाने -ले जाने के लिए हल्के वाहन (एलएमवी) और भारी वाहन (एचएमवी) चलाना।
  - वाहनों का रखरखाव(मेंटीनेंस)/सफाई एवं देखभाल
  - वाहनों का शेड्यूल मेंटीनेंस, मरम्मत एवं वाहनों को सड़क पर चलने हेतु मैकेनिकली फिट रखना।
  - रिकॉर्ड एवं लॉग बुक प्रबंधन तथा ड्यूटी एलोकेशन
  - गाड़ियों के फास्ट-टैग, बीमा नवीनीकरण बिल आदि प्रोसेस करने हेतु ऑफिस से संपर्क करना।

- **ड्राइवर के पद हेतु वांछनीय योग्यता:**
  जिन अभ्यर्थियों को एलएमवी एवं एचएमवी दोनों प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- **ड्राइवर के पद हेतु अनुभव का मापदंड :**
  भारत सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश के किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय या किसी अन्य रजिस्टर्ड प्राइवेट संस्थान/फर्म/संगठन में कम से कम 3 वर्ष तक मोटर कार चलाने का अनुभव। जारी किया गया प्रमाणपत्र(सर्टिफिकेट) सही प्रारूप(फॉर्मेट) में होना चाहिए तथा मंत्रालय / विभाग / संगठन / संस्थान / फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

- **टिप्पणी:**

1. निदेशक, सीएसआईआर-आईआईटीआर के पास बिना कोई कारण बताए इस विज्ञापन को रद्द करने या आवश्यकता पड़ने पर पद को न भरने का अधिकार सुरक्षित है। उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या भिन्न -भिन्न हो सकती है, अर्थात वास्तविक चयन के समय यह संख्या बढ़ या घट सकती है। यह चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान उस समय लागू सीएसआईआर/ भारत सरकार के निर्देशों के अधीन है।
2. उपर्युक्त टेबल में दिए गए कार्य विवरण के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-आईआईटीआर को समय-समय पर उपयुक्त कोई अन्य कार्य देने का अधिकार है। एमटीएस /ड्राइवर को किसी भी दिन असुविधाजनक समय (ऑड आवर्स) में कार्य करना होगा। यदि आवश्यकता हो तो एमटीएस /ड्राइवर को पारियों (शिफ्ट्स)में एवं छुट्टियों में भी कार्य करना होगा।

लाभ :

1. इन पदों पर सामान्य वेतन और भत्ते मिलते हैं, जैसे कि मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, महंगाई भत्ता आदि, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है और जैसा कि लखनऊ (वर्ग 'वाई' शहर) में तैनात परिषद के कर्मचारियों के लिए लागू है। अन्य लाभ, जैसे कि छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (सीजीएचएस/सीएसएमए नियमों के अनुसार) भी उपलब्ध हैं। कर्मचारियों को सीएसआईआर नियमों के अनुसार, उपलब्धता के अधीन, आवासीय आवास प्रदान किया जाता है।
2. सीएसआईआर, आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत इन पदों पर लागू नियमों के अनुसार एवं सीएसआईआर द्वारा पद के बारे में समय-समय पर जारी जारी सर्कुलर एवं संशोधनों के अनुसार करियर में उन्नति प्रदान करता है।
3. सभी नए कार्मिकों पर 01.01.2004 से लागू "नई पेंशन योजना" लागू होगी, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और सीएसआईआर द्वारा उनके पत्र संख्या 17/68/2001-ई.II दिनांक 23.12.2003 और समय-समय पर इस विषय पर जारी अन्य निर्देशों के माध्यम से अपनाया गया है। यद्यपि, अन्य सरकारी विभागों / स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चुने गए व्यक्ति जिनके पास भारत सरकार के पैटर्न पर पेंशन योजना है और जो वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना(ओपीएस) द्वारा शासित हैं, वे मौजूदा पेंशन योजना अर्थात सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 द्वारा शासित होते रहेंगे, यदि उचित माध्यम से लागू हो ।
4. परिषद के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए सेंट्रल सिविल सर्विसेज़(कंडक्ट्स) रूल, 1964 एवं सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (क्लासीफ़िकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल, 1965, फंडामेंटल एंड सप्लिमेंटेरी रूल तथा ऐसे अन्य नियम एवं आदेश जो कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे, परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे।
5. सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (एआईएसएल) के अधीन हैं, अर्थात चयन उपरांत अभ्यर्थी को देश(भारत) में कहीं भी सेवा प्रदान करने हेतु कहा जा सकता है।

I. आयु सीमा एवं छूट:

1. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
2. आयु सीमा/अनुभव/योग्यता/एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु में छूट आदि का दावा निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात **19.02.2026** होगी।
3. अनुसूचित जाति [एससी] / अनुसूचित जनजाति [एसटी] के सदस्यों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग [ओबीसी (एनसीएल)] के सदस्यों को 03 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि लागू सरकारी आदेशों के अनुसार, केवल उन मामलों के संबंध में है जहां ऐसे पद / रिक्तियां संबंधित श्रेणियों हेतु आरक्षित हैं।
4. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) अभ्यर्थी जो कि उन पद हेतु आवेदन करते हैं जो कि उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, अर्थात, अनारक्षित (यूआर) पद , उन्हें आयु में छूट नहीं मिलेगी तथा उनके चयन के मामले में उन्हें सामान्य अभर्थियों के समान माना जाएगा [यद्यपि, ऐसे मामलों में एससी एवं एसटी अभ्यर्थी हेतु आवेदन शुल्क छूट लागू होगी।
5. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) की आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ अपने प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी अवश्य अपलोड करनी होगी। यह प्रमाणपत्र निर्धारित फ़ॉर्मेट में होना चाहिए एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी : एसडीओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या डिप्टी कमिश्नर जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार है।
6. एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र भारत सरकार (जीओआई) के अधीन किसी पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित फ़ॉर्मेट में होने चाहिए। ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र को भारत सरकार के अंतर्गत पद पर नियुक्ति के लिए नॉन-क्रीमी लेयर क्राइटेरिया को भी पूरा करना होगा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, न कि केंद्र सरकार के किसी भी राज्य में नियुक्ति के लिए, जिसमें उन राज्य सरकार के आदेश का उल्लेख हो।
7. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) अभ्यर्थियों हेतु पात्रता भारत सरकार की सेंट्रल लिस्ट में उल्लिखित जातियों के आधार पर होगी, एवं उनकी उपजाति(सब-कास्ट) इस लिस्ट में प्रविष्टि (एंट्रीज़) से मैच करनी चाहिए; नहीं तो, उनकी अभ्यर्थिता को किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना जाएगा तथा यदि वे पात्र हैं तो उन्हें अनारक्षित (यूआर) माना जाएगा। "क्रीमी लेयर" में ओबीसी अभ्यर्थियों को ओबीसी कैटेगरी हेतु उपलब्ध छूट नहीं मिलेगी एवं उन्हें अपनी कैटेगरी सामान्य (जनरल) लिखना होगा।
8. ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) को अपने दावे के समर्थन में एक 'फॉर्म ऑफ़ डिक्लेरेशन' भी देना होगा कि वे ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) कैटेगरी में नहीं आते हैं।
9. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ पीडब्ल्यूबीडी / ईडब्ल्यूएस आदि अभ्यर्थियों को, जब भी कहा जाए, निर्धारित फॉर्मेट में निर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। यद्यपि, किसी विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी का दावा इस विषय पर मौजूदा भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार रेगुलेट किया जाएगा।
10. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं एवं पति से न्यायिक रूप से पृथक हो चुकी महिलाओं, जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु उनके लिए आरक्षित पदों हेतु 40 वर्ष तक] है, जैसा भी मामला हो, परंतु शैक्षिक योग्यता अथवा भर्ती के तरीकों में कोई छूट नहीं है। इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:
    - (i) विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाणपत्र एवं यह शपथपत्र कि उसने उसके उपरांत पुनः विवाह नहीं किया है ।
    - (ii) तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से पृथक हुई महिलाओं के मामले में, तलाक या कानूनी तौर पर अलग होने की बात सिद्ध करने के लिए उपयुक्त कोर्ट के फैसले/डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी, जैसा भी हो, तलाकशुदा महिलाओं के मामले में एक एफिडेविट के साथ, और उन्होंने उसके उपरांत पुनः विवाह नहीं किया है ।

एमटीएस के पद हेतु बेंचमार्क निः शक्तता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों को रियायत / छूट :

11. आयु में 10 (दस) वर्ष की छूट [इसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के अभ्यर्थी को अधिकतम 15 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी, जिसमें उनकी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट सम्मिलित है। इसी प्रकार, ओबीसी अभ्यर्थी को अधिकतम 13 वर्ष तक की छूट मिलेगी, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की आयु में छूट सम्मिलित है] ऊपरी आयु सीमा में छूट उन लोगों को दी जाएगी जो भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित बेंचमार्क डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं: (i) कैटेगरी A - अंधापन एवं कम दृष्टि ; (ii) कैटेगरी B – बधिर एवं कम सुनने वाले; (iii) कैटेगरी C - चलने-फिरने में कठिनाई जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हो चुके कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित हैं; (iv) कैटेगरी D - ऑटिज़्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विशेष रूप से सीखने की डिसेबिलिटी व मानसिक रोग ; (v) कैटेगरी E - क्लॉज़ (A) से (D) के अंतर्गत आने वाले वायक्तियों में से बधिर /अंधापन सहित अनेक डिसेबिलिटी।
12. दिव्यांग लोगों को आयु में छूट मिलेगी, भले ही पोस्ट दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित हो या नहीं, बशर्ते कि पद निःशक्त लोगों की संबंधित कैटेगरी हेतु उपयुक्त अभिज्ञात हो।

नोट: उपर्युक्त निःशक्तताओं की परिभाषा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुसार होगी।

इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्ति कम से कम 40% प्रासंगिक बेंचमार्क निःशक्तता से पीड़ित होने पर पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे। बेंचमार्क निःशक्तता वाले वे व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जिन्होंने छूट का लाभ उठाया है, उन्हें राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ रूल्स, 2017, दिनांक 15.06.2017, के अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 18 (1) के फॉर्म V, VI एवं VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 (अब निरस्त) के अंतर्गत जारी निःशक्तता के विद्यमान प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि हेतु वैध रहेंगे। किसी भी मामले में, इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रत्येक व्यक्तिगत ग्रुप 'ए' पदों के लिए, जिन्हें चयन द्वारा सीधी भर्ती से भरा जाना है, सरकार द्वारा निर्धारित मेडिकल फिटनेस के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगी।

कृपया ध्यान दें, पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को आवेदन में अपनी जाति/कम्युनिटी जैसे एससी/एसटी /ओबीसी (एनसीएल)/ जीईएन/ ईडब्ल्यूएस दर्शानी चाहिए एवं संबंधित जाति/कम्युनिटी का प्रमाणपत्र भी दिखाना चाहिए, क्योंकि यह एक हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा, जब वह आवेदित पद हेतु फिजिकल एवं मेडिकल स्टैंडर्ड(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फिजिकल एग्जामिनेशन के उपरांत) की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा ।

13. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों हेतु लिखित परीक्षा आयोजित करने के दिशानिर्देश भारत सरकार, MoSJ&E, दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) OM नंबर 34-02/2015-DD-III, दिनांक 29.08.2018 एवं उसी नंबर के शुद्धिपत्र दिनांक 08.02.2019 के अनुपालन में सीएसआईआर सर्कुलर नंबर 5-1(39)/2008-PD, दिनांक 15.03.2019 के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

ड्राइवर के पद हेतु बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्तियों(पीडब्ल्यूबीडी) को रियायत / छूट:

14. **चालक का पद बेंचमार्क निःशक्तता (डिसेबिलटी) वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है।**
15. इस पद पर नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि चयनित अभ्यर्थी को भारत सरकार / सीएसआईआर/सीएसआईआर-आईआईटीआर द्वारा इस पद हेतु तय/तय किए गए मेडिकल फिटनेस के मानक के अनुसार मेडिकली फिट पाया जाए।

भूतपूर्व सैनिकों(एक्स-सर्विसमेन) के मामले में रियायत / छूट

16. भूतपूर्व सैनिकों (एक्स-सर्विसमेन) को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी: सीएसआईआर-आईआईटीआर में भरे हुए आवेदन फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तिथि को सेना में दी गई सेवा अवधि को वास्तविक आयु में से घटाने के उपरांत 03 वर्ष की छूट मिलेगी।
17. जो भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन हेतु दिए गए आरक्षण का लाभ उठाकर, सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी एवं /या डी पद पर नियमित आधार पर सिविल साइड में सर्विस प्राप्त कर चुके हैं, वे शुल्क में छूट हेतु पात्र नहीं हैं।
18. सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सेवा" अवधि को भी नियमानुसार आयु में छूट के प्रयोजन के लिए सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।
19. केंद्र की तीनों सेनाओं के किसी भी सैनिक को आरक्षण का लाभ पाने हेतु भूतपूर्व सैनिक (एक्स-सर्विसमैन) माने जाने हेतु, इस हेतु उसे पद /सेवा के लिए अपना आवेदन जमा करते समय पहले से ही एक्स-सर्विसमैन का स्टेटस प्राप्त कर लेना चाहिए अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से डॉक्यूमेंट्री प्रमाण के द्वारा अपने प्राप्त अधिकार को सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह सीएसआईआर-आईआईटीआर में उचित विधि से भरा हुआ आवेदन फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की तय अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं से अपनी तय सेवा अवधि पूरी कर लेगा/लेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के निर्धारित अवधि के अंदर एक्स-सर्विसमैन का स्टेटस प्राप्त करना होगा।
20. भूतपूर्व सैनिक (एक्स-सर्विसमैन) शब्द उन लोगों पर लागू होगा जिन्हें एक्स-सर्विसमैन (री-एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस एंड पोस्ट्स) रूल्स, 1979, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, में एक्स-सर्विसमैन के तौर पर परिभाषित किया गया है, एवं सरकार के DoP &T OM नंबर 36012/3/2021-Estt. (Res.II), दिनांक : 27.02.2023 के द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत, जिसमें, अन्य उल्लेखों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान हैं: - सशस्त्र बलों ("आर्म्ड फोर्सेज़) में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों सिविल पद हेतु आवेदन करने हेतु तभी पात्र होंगे, जब वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय विशेष भर्ती/परीक्षा आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के अंदर आर्म्ड फोर्सेज़ सर्विस का तय समय पूरा कर लेंगे। बशर्ते कि, जब चयन प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो अभ्यर्थी को केवल इस आधार पर एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन मिलने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के उपरांत आर्म्ड फोर्सेज़ से स्वयं को कार्य मुक्त(रिलीज़) करवाया है।" ऐसे अभ्यर्थियों के पास सीएसआईआर-आईआईटीआर में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रमाण पत्र (इस विज्ञापन के अनुबंध-XII के अनुसार) होना भी आवश्यक है।

21. स्पष्टीकरण: "भूतपूर्व सैनिक (एक्स-सर्विसमैन)" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:

a. जिसने इंडियन यूनियन की रेगुलर आर्मी, नेवी या एयर फ़ोर्स में किसी भी रैंक पर, चाहे वह कॉम्बैटेंट हो या नॉन-कॉम्बैटेंट;
   (i) जो पेंशन मिलने के उपरांत या तो अपनी रिक्वेस्ट पर अथवा नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवा से रिटायर या रिलीव अथवा डिस्चार्ज किया गया हो; या
   (iii) जिसे मिलिट्री सर्विस या उसके नियंत्रण से बाहर की दशा के कारण मेडिकल आधार पर ऐसी सेवा से रिलीव किया गया हो एवं जिसे मेडिकल या दूसरी डिसेबिलिटी पेंशन दी गई हो; या
   (iii) जिसे एस्टैब्लिशमेंट में न्यूनीकरण के कारण से ऐसी सेवा से रिलीज़ किया गया हो; या

b. जिसे विनिर्दिष्ट समय पूरा करने के उपरांत ऐसी सेवा से, स्वयं के निवेदन पर, या सेवा से बर्खास्तगी अथवा कदाचार या अदक्षता के कारण सेवा से रिलीज़ किया गया हो तथा जिसे ग्रेच्युटी दी गई हो, इसमें टेरिटोरियल आर्मी के कर्मी सम्मिलित हैं, अर्थात निरंतर सर्विस या क्वालिफाइंग सर्विस की अनिरंतर अवधि हेतु पेंशन पाने वाले; या

c. आर्मी पोस्टल सर्विस के वे कर्मचारी जो रेगुलर आर्मी का भाग हैं एवं अपनी मूल सर्विस में वापस जाए बिना पेंशन के साथ आर्मी पोस्टल सर्विस से रिटायर हुए हैं, या जिन्हें मिलिट्री सर्विस या उनके नियंत्रण से बाहर की दशा के कारण मेडिकल के आधार पर आर्मी पोस्टल सर्विस से रिलीज़ किया गया हो और जिन्हें मेडिकल या दूसरी डिसेबिलिटी पेंशन दी गई है; या

d) ऐसे कर्मचारी, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक आर्मी पोस्टल सर्विस में डेप्युटेशन पर थे; या

e) आर्म्ड फोर्सेज़ के गैलेंट्री अवार्ड विजेता, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी के लोग भी सम्मिलित हैं; या

f) भूतपूर्व सैनिक(एक्स-रिक्रूट) जिन्हें मेडिकल आधार पर बोर्ड आउट या रिलीव किया गया है और जिन्हें मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन दी गई है। एक मैट्रिक पास एक्स-सर्विसमैन (जिसमें वह एक्स-सर्विसमैन सम्मिलित है, जिसने इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफ़िकेट ऑफ़ एजुकेशन या नेवी अथवा एयर फ़ोर्स में करेस्पोंडिंग सर्टिफ़िकेट प्राप्त किया है), जिसने यूनियन की आर्म्ड फ़ोर्सेज़ में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, उसे केवल ईएसएम हेतु आरक्षित पद पर ग्रुप "सी" पद के लिए नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। इस प्रकार, वे मैट्रिक पास एक्स-सर्विसमैन जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 15 वर्ष की सर्विस पूरी नहीं की है, वे इन पद हेतु पात्र नहीं हैं।

22. एक्स-सर्विसमैन अभ्यर्थियों को केंद्रीय सरकार के अंतर्गत पद नियुक्ति हेतु वैध तथा निर्धारित फार्मेट में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाणपत्र की एक कॉपी, आवेदन फॉर्म के साथ जमा करनी होगी। जब भी सीएसआईआर- आईआईटीआर के सक्षम प्राधिकारी सत्यापन हेतु मांगे, तो मूल प्रमाणपत्र दिखाने होंगे। जब तक इस प्रमाणपत्र की सत्यता सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता /नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी।

23. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt. (Res.), दिनांक 31.01.2019 एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के समय इस संबंध में लागू भारत सरकार के किसी भी अन्य निर्देश के अनुसार रेगुलेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी द्वारा आय एवं परिसम्पत्ति (एसेट) प्रमाणपत्र जमा करने की ज़रूरी/अंतिम तिथि पद हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। ज़रूरी/अंतिम तिथि के उपरांत एवं बाद के वित्तीय वर्ष हेतु जारी किए गए आय एवं परिसम्पत्ति (एसेट) प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

24. इसके अतिरिक्त, परिवार की कुल वार्षिक आय की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व के वित्तीय वर्ष हेतु की जाएगी। उदाहरण :, यदि किसी पद हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगस्त, 2022 है, तो परिवार की कुल वार्षिक आय की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 होगा और प्रमाणपत्र 2022-2023 के लिए मान्य होगा।

25. आयु में कोई भी अन्य छूट भारत सरकार/सीएसआईआर के विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार लागू होगी।

III. चयन पद्धति:

1. मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पदों हेतु :

a) **आवेदनों का लघुसूचीयन (शॉर्ट लिस्टिंग) :** निदेशक, सीएसआईआर-आईआईटीआर द्वारा गठित संवीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार जो अभ्यर्थी पात्रता मानदंड पूरा करेंगे, वे इस विज्ञापन की योग्यता(ओं), नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु लघुसूचीयन करेंगे।

b) **ट्रेड टेस्ट:** ट्रेड टेस्ट करने का आशय अभ्यर्थी का व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा है, जैसा कि जॉब की प्रकृति / जॉब की अपेक्षा में उल्लेख किया गया है।

c) चयन समिति ट्रेड टेस्ट का तरीका तय करेगी एवं ट्रेड टेस्ट भी करवाएगी।

d) सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों हेतु बाध्यकारी होगा।

e) प्रतियोगी लिखित परीक्षा : जो अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट में पास होंगे, वे कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन (सीडब्ल्यूई) में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

f) प्रतियोगी लिखित परीक्षा की स्कीम :

परीक्षा की विधि	ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पी परीक्षा।
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेज़ी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर, अन्य प्रश्न अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में होंगे।
परीक्षा का स्तर	कक्षा 10
कुल प्रश्नों की संख्या	150
कुल आवंटित समय	2 घंटे

g) प्रतियोगी लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (सिलेबस):

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	ऋणात्मक अंक
सामान्य बुद्धि	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक ऋणात्मक अंक
मात्रात्मक कौशल (क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड)	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक ऋणात्मक अंक
सामान्य जागरूकता	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक ऋणात्मक अंक
अंग्रेजी भाषा	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक ऋणात्मक अंक

h) **उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अंतिम योग्यता-क्रमसूची**: अंतिम योग्यता-क्रमसूची कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ामनेशन (सीडब्ल्यूई) में अभ्यर्थियों के निष्पादन (प्राप्त अंकों) के आधार पर तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लघुसूचीयन/चयन हेतु थ्रेशहोल्ड, सक्षम प्राधिकारी सीएसआईआर-आईआईटीआर द्वारा तय किया जाएगा, जो सभी अभ्यर्थियों हेतु बाध्यकारी होगा।

i) एमटीएस के पदों हेतु जहाँ दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को कुल अंक बराबर प्राप्त हुए हैं, वहाँ टाई के मामलों को हल करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन किया जाएगा, जब तक कि टाई मामला हल न हो जाए:

I. कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ामनेशन (सीडबल्यूई) में, जिस अभ्यर्थी के ऋणात्मक अंक कम होंगे, उसे ऊपर रखा जाएगा;

II. जन्मतिथि के अनुसार, बड़े अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा;
III. जिस अभ्यर्थी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पहले प्राप्त की है, उसे ऊपर रखा जाएगा;
IV. अभ्यर्थियों के पहले नामों(फ़र्स्ट नेम) को अल्फाबेटिकल क्रमानुसार रखा जाएगा ।

स्किल टेस्ट/ट्रेड टेस्ट के साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेतु सेंटर, तिथि एवं समय की सूचना सभी आवेदकों को सीएसआईआर-आईआईटीआर की वेबसाइट एवं अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन फॉर्म में दिए गए ईमेल आईडीज़(Ids) पर ईमेल के द्वारा समय पर दे दी जाएगी।

2. चालक(ड्राइवर) के पदों हेतु :

a. **आवेदनों का लघुसूचीयन (शॉर्ट लिस्टिंग) :** निदेशक, सीएसआईआर-आईआईटीआर द्वारा गठित संवीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार जो अभ्यर्थी पात्रता मानदंड पूरा करेंगे, वे इस विज्ञापन की योग्यता(ओं), नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु लघुसूचीयन करेंगे।
b. **स्किल टेस्ट:** समिति द्वारा लघुसूचीयन किए गए अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि अर्हक (क्वालिफाइंग) होगा।
c. **प्रतियोगी लिखित परीक्षा:** जो अभ्यर्थी स्किल टेस्ट पास करेंगे, उन्हें प्रतियोगी लिखित परीक्षा (कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ामनेशन) हेतु बुलाया जाएगा।
d. सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।
e. **प्रतियोगी लिखित परीक्षा की स्कीम :**

परीक्षा की विधि	ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पी परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्ज़ामनेशन)।
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेज़ी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर, अन्य प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होंगे।
परीक्षा का स्तर	10वीं कक्षा
कुल प्रश्नों की संख्या	100
कुल आवंटित समय	90 मिनट

f. **प्रतियोगी लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (सिलेबस):**

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	ऋणात्मक अंक
सामान्य बुद्धि (जनरल इंटेलिजेंस)	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक ऋणात्मक अंक
मात्रात्मक कौशल (क्वान्टिटेटिव ऐप्टिटूड)	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक ऋणात्मक अंक
सामान्य जागरूकता (जनरल अवेर्नेस)	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक ऋणात्मक अंक
अंग्रेजी भाषा	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर हेतु एक ऋणात्मक अंक

g. **उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अंतिम योग्यता-क्रमसूची**: अंतिम योग्यता-क्रमसूची कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ामनेशन (सीडबल्यूई) में अभ्यर्थियों के निष्पादन (प्राप्त अंकों) के आधार पर तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लघुसूचीयन/चयन हेतु थ्रेशहोल्ड, सक्षम प्राधिकारी सीएसआईआर-आईआईटीआर द्वारा तय किया जाएगा, जो सभी अभ्यर्थियों हेतु बाध्यकारी होगा।

h. ड्राइवर के पदों हेतु जहाँ दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को कुल अंक बराबर प्राप्त हुए हैं, वहाँ टाई के मामलों को हल करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन किया जाएगा, जब तक कि टाई मामला हल न हो जाए:

   I. कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ामनेशन (सीडबल्यूई) में, जिस अभ्यर्थी के ऋणात्मक अंक कम होंगे, उसे ऊपर रखा जाएगा;
   II. जन्मतिथि के अनुसार, बड़े अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा;
   III. जिस अभ्यर्थी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पहले प्राप्त की है, उसे ऊपर रखा जाएगा;
   IV. अभ्यर्थियों के पहले नामों(फ़र्स्ट नेम) को अल्फाबेटिकल क्रमानुसार रखा जाएगा ।

स्किल टेस्ट/ट्रेड टेस्ट के साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेतु सेंटर, तिथि एवं समय की सूचना सभी आवेदकों को सीएसआईआर-आईआईटीआर की वेबसाइट एवं अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन फॉर्म में दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल के द्वारा समय पर दे दी जाएगी।

IV. सामान्य शर्तें / अनुदेश: -

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और यह भिन्न हो सकती है। यह ज़रूरी नहीं कि वास्तव में किया गया चयन विज्ञापन समान हो। सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में विज्ञापित रिक्तियों के सभी या आंशिक भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार/सरकारी नियामक निकायों (रेगुलेटरी बॉडीज़) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से ली गई होनी चाहिए तथा अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को या उससे पहले घोषित होना चाहिए।
4. सभी दस्तावेज/प्रमाणपत्र बाद में सत्यापित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थियों को इस संस्थान द्वारा मांगे जाने पर सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी गलत या अधूरी जानकारी उसे बिना किसी और नोटिस के विचार के लिए अयोग्य बना देगी। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में अभ्यर्थिता अनंतिम है एवं इसलिए इस विज्ञापन तथा सीएसआईआर के भर्ती नियमों के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर ही विचार किया जाएगा।
5. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो अभ्यर्थी को उसकी हिंदी/अंग्रेजी में प्रतिलिपि राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा सत्यापित करके प्रस्तुत करनी होगी।
6. विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार फार्मूले के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें।
7. एससी/एसटी/ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस आदि प्रमाण पत्र, जैसा भी लागू हो, निर्धारित प्रारूप/प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने चाहिए।
8. वैध ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के उपरांत कम से कम तीन वर्ष तक मोटर कार चलाने का अनुभव होना चाहिए।
9. अभ्यर्थी को आवेदन में, संबंधित क्षेत्र में अपनी सभी योग्यताओं एवं अनुभवों , यदि कोई हो, तो उल्लेख करना चाहिए और संबंधित दस्तावेज़ों को लगाने चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विवरण पूर्ण हों और सही हों।
10. ये पद स्थानीय हैं एवं सामान्यतः इनकी नियुक्ति का स्थान सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ है। यद्यपि, कार्य की आवश्यकता होने पर नियुक्त व्यक्तियों को सीएसआईआर की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान में तैनात(पोस्ट) किया जा सकता है।
11. सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू)/स्वायत्त निकायों आदि के कर्मचारियों के आवेदन तभी मान्य होंगे, जब ऑनलाइन आवेदन भरते समय अनापत्ति प्रमाणपत्र (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) अपलोड किया जाएगा, जिसे नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि नियोक्ता को सीएसआईआर-आईआईटीआर द्वारा विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी के आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है तथा यदि आवेदक का चयन हो जाता है, तो उसे नियुक्ति पत्र मिलने के एक माह के भीतर रिलीव कर दिया जाएगा।

   अथवा

   सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू)/स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत अभ्यर्थियों के उचित माध्यम से (थ्रो प्रापर चैनल) भेजे गए आवेदन ही मान्य होंगे । ऐसे अभ्यर्थियों को भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट अपने नियोक्ता के माध्यम से इस कार्यालय में ऊपर बताए गए प्रमाणपत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 19/02/2026 के 15 दिनों के भीतर भेजना होगा।
12. सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू)/स्वायत्त निकायों आदि के आवेदकों को जब भी कहा जाएगा, उन्हें अपने नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र ('नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट') प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को भर्ती के अगले चरणों में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

13. अभ्यर्थी को आवेदन जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका उसका आवेदन पत्र प्रत्येक प्रकार से पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज सहित जमा करे। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथा मूल दस्तावेजों में व्यक्त जानकारी में कोई भी विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी को पद/(पदों) हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
14. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में भरी गई जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन / सेकेंडरी स्कूल प्रमाणपत्र में दर्ज तिथि से मेल खानी चाहिए। जन्मतिथि में परिवर्तन हेतु बाद में किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. यदि अभ्यर्थी सर्वर की खराबी/किसी तकनीकी खराबी के कारण अंतिम समय पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो अंतिम तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। **अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें।** संस्थान का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व स्वयं को संतुष्ट कर लें कि उनके पास ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पदों हेतु विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यताएं हैं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं। पात्रता पर सलाह मांगने वाली कोई भी अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित आवश्यक योग्यताएं/अनुभव न्यूनतम हैं और चयन खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। अतः केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव रखने से अभ्यर्थी पद पर चयन के हकदार नहीं हैं।
17. केवल न्यूनतम निर्धारित योग्यताएं पूर्ण करने से अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट /ट्रेड टेस्ट हेतु बुलाए जाने या नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पूर्व या पश्चात में सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता अविलंब सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
18. **चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष कि अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।** चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक तय समय के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत वर्तमान नियमों के अनुसार उनके स्थायीकरण हेतु विचार किया जाएगा।
19. यह जानकारी के लिए है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई घोषणा या दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है या यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, तो उसकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और/या उसे सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत सेवा से हटाया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।
20. अनिवार्य योग्यताओं में समकक्ष खंड के संबंध में, यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो अभ्यर्थी को इस संबंध में एक आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकरण (संख्या एवं तिथि के साथ) का उल्लेख हो जिसके तहत उसे ऐसा माना गया है अन्यथा आवेदन अस्वीकार योग्य माना जाएगा। यद्यपि, इस संबंध में अंतिम निर्णय उस विषय पर सीएसआईआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया जाएगा।
21. भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
22. **किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का प्रभाव डालना, चाहे राजनीतिक हो या अन्य, पद हेतु अयोग्य माना जाएगा।**
23. दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु ट्रेड /स्किल टेस्ट एवं लिखित परीक्षा के लिए उपलब्ध प्रावधान भारत सरकार/सीएसआईआर के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।
24. स्किल टेस्ट/ लिखित परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
25. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन की विधि और परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी मामलों में निदेशक, सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।

26. **लिखित परीक्षा एवं ट्रेड/स्किल-टेस्ट हेतु परीक्षा केंद्र केवल लखनऊ में होगा।**
27. आपके पास एक वैध पर्सनल ईमेल आईडी(ID) एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो इस भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय(एक्टिव) रहना चाहिए। परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड/हॉल टिकट डाउनलोड करने की जानकारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपना नया ईमेल आईडी बना लेना चाहिए एवं मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए तथा उस ईमेल अकाउंट एवं मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए।
28. इस परीक्षा के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, अभ्यर्थियों को समय-समय पर सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ की वेबसाइट (https://www.iitr.res.in) देखते रहना आवश्यक है।

V. <u>कदाचार/अनुचित साधनों का उपयोग करने के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई</u>

अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय कोई भी ऐसी जानकारी न दें जो असत्य, परिवर्तित या काल्पनिक हो एवं न ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाएं। परीक्षा, स्किल टेस्ट/ट्रेड टेस्ट या इसके उपरांत की चयन प्रक्रिया के समय, यदि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी (है या रहा है) पाया जाता है –

a. अनुचित साधनों का उपयोग करना या
b. किसी व्यक्ति द्वारा छद्मरूपण करना या छद्मरूपण करवाना या
c. परीक्षा/स्किल टेस्ट/ट्रेड टेस्ट में दुर्व्यवहार करना या टेस्ट सामग्री या उसमें किसी भी जानकारी को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक हो या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य हेतु प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनरुत्पादन करना, प्रसारित करना, संग्रहीत करना या प्रसारण एवं भंडारण की सुविधा प्रदान करना या
d. अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधनों का उपयोग करना या
e. अनुचित साधनों से अपनी अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करना, या
f. परीक्षा/स्किल टेस्ट/ट्रेड टेस्ट में मोबाइल फोन या इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाना, ऐसे अभ्यर्थी पर आपराधिक मुकदमा चलाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है:
   (i) जिस परीक्षा हेतु वह अभ्यर्थी है, उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है
   (ii) सीएसआईआर-आईआईटीआर द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित किया जा सकता है
   (iii) यदि वह पहले से ही संस्थान में सेवारत है, तो सेवा समाप्त की जा सकती है।
g. सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-आईआईटीआर द्वारा मामले को पुलिस/जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट किया सकता है, जैसा उचित समझा जाए एवं सक्षम प्राधिकारी संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कराने हेतु उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

VI. आवेदन कैसे करें:

1. पात्र अभ्यर्थी को वेबसाइट (https://www.iitr.res.in) पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का कोई अन्य तरीका मान्य नहीं होगा।
2. अभ्यर्थियों को उपर्युक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व (https://www.iitr.res.in) पर इस संबंध में दिए गए निर्देश पृष्ठ को अवश्य पढ़ना चाहिए।
3. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन शुल्क (प्रत्येक पोस्ट-कोड के लिए अलग-अलग) के रूप में अप्रतिदेय(नॉन रिफंडेबल) ₹ 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) का भुगतान करना होगा। **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी/ महिला/ भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।** डीडी, चालान, पोस्टल ऑर्डर आदि जैसे भुगतान के किसी अन्य माध्यम की अनुमति नहीं है।
4. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले भुगतान विवरण (रसीद संख्या/चालान संख्या) को आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर उल्लेख करना आवश्यक है।
5. एक बार आवेदन प्रस्तुत कर देने के उपरांत उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी और किसी भी दशा में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, न ही इसे किसी दूसरी भर्ती अथवा चयन प्रक्रिया हेतु आरक्षित रखा जा सकता है।
6. अभ्यर्थी को अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर भी संबंधित निर्दिष्ट स्थानों पर अपलोड करने होंगे।

   a) फोटोग्राफ इमेज हेतु अपेक्षाएं :
   (धुंधली/नकली/काल्पनिक/सेल्फ़ी फ़ोटो वाले आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे)
   - फ़ाइल प्रारूप: जेपीईजी।
   - आकार: 100 केबी एवं 500 केबी के बीच।
   - आयाम: 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई)।
   - चेहरा: चेहरे का पूर्ण दृश्य, छवि(इमेज) का लगभग 40% भाग।
   - हाल ही की फोटो : परीक्षा अधिसूचना तिथि से तीन महीने से अधिक पुरानी फोटो न हो।
   - कोई टोपी या चश्मा नहीं पहना जाना चाहिए।
   - सुस्पष्ट एवं पूर्णतः दृश्यमान : फोटो में दोनों कान दिखने चाहिए।

   b) हस्ताक्षर की इमेज हेतु अपेक्षाएं :
   (कैपिटल अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।)
   - अपने हस्ताक्षर को स्कैन करें: सुनिश्चित करें कि आपका हस्ताक्षर स्पष्ट और पढ़ने योग्य है।
   - जेपीईजी के रूप में सहेजें: फ़ाइल प्रारूप जेपीईजी होना चाहिए।
   - फ़ाइल का आकार: फ़ाइल का आकार 40 केबी और 200 केबी के बीच होना चाहिए।
   - आयाम: हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 5.0 सेमी (चौड़ाई) x 3.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए।
   - लघु हस्ताक्षरों से बचें: 'लघु' हस्ताक्षर वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे, अतः सुनिश्चित करें कि यदि कोई विशिष्ट बॉक्स प्रदान किया गया है तो आपका हस्ताक्षर बॉक्स के कम से कम 80% भाग को कवर करे ।
   - स्पष्ट एवं पठनीय: सुनिश्चित करें कि हस्ताक्षर स्पष्ट तथा पढ़ने में सरल हों। अपठनीय /अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
   - आवेदन फ़ॉर्म पर अपलोड करें: एक बार हस्ताक्षर स्कैन हो जाने एवं जेपीईजी फ़ाइल के रूप में सहेजे जाने के उपरांत, इसे ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म में दिए गए उपयुक्त स्थान पर अपलोड करें।

7. विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार फार्मूले के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें।
8. जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह, पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण से नाम परिवर्तन का दावा करता है, उसे ऑनलाइन आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे।

   a) **महिलाओं के विवाह के मामले में:** पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति-पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति अथवा संयुक्त फोटो सहित पति-पत्नी का शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत ली गई शपथ का शपथ पत्र।

   b) **महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में:** पहले पति/पत्नी के संबंध में विवाह विच्छेद दस्तावेज़ (डिवोर्स डीड)/मृत्यु-प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो एवं वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति/पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति अथवा संयुक्त फोटो सहित पति-पत्नी का शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत ली गई शपथ का शपथ पत्र।

c) **महिलाओं के तलाक के मामले में :** तलाक के आदेश(डिवोर्स डिक्री) एवं डीड पोल की प्रमाणित प्रति तथा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत ली गई शपथ का शपथ पत्र।

9. सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के आवेदनों पर केवल तभी विचार किया जाएगा, जब आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया गया हो या इस संबंध में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अपलोड किया गया हो।

10. **अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ (एकल पीडीएफ के रूप में) क्रम में (जहां भी आवश्यक हो)**

a) 10वीं/एसएससी मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र
b) 12वीं/एचएससी या समकक्ष योग्यता की मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र
c) अन्य योग्यता सर्टिफिकेट/डिप्लोमा मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, (यदि लागू हो)।
d) वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र(एनओसी), यदि लागू हो, जाति श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
e) कोई अन्य दस्तावेज़ जो अभ्यर्थी पर लागू हो (मामले के आधार पर)।

11. **<u>अन्य दस्तावेज अलग से अपलोड किए जाने चाहिए (जहां आवश्यक हो)</u>**

a) शुल्क रसीद (यदि लागू हो)
b) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम अथवा कोई अन्य विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसे जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत भारत में जन्मे बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने का अधिकार दिया गया है, द्वारा जारी जन्म-प्रमाण पत्र (केवल अगर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख नहीं है)।
c) जाति श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
d) भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज बुक / पीपीओ (यदि लागू हो)
e) पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
f) एलएमवी एवं एचएमवी हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस (ड्राइवर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु)
g) कम से कम 3 वर्ष तक मोटर कार चलाने का अनुभव प्रमाण पत्र (ड्राइवर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु)

12. अभ्यर्थियों को अपनी फ़ोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म में निर्धारित स्थानों पर ही अपलोड करने होंगे। निर्धारित विधि से भिन्न प्रकार से किसी भी दस्तावेज़ को आवेदन में गलत या अनपेक्षित स्थान (सेक्शन) में अपलोड करने पर आवेदन अस्वीकार योग्य होगा।

13. किसी भी तरह से अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन (अर्थात हस्ताक्षर, फोटोग्राफ, आवश्यक शैक्षिक योग्यता दस्तावेज़, आवेदन शुल्क(यदि लागू हो)आदि अपलोड किए बिना) स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

14. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी जैसे- तिथि, समय एवं लिखित परीक्षा/स्किल या ट्रेड टेस्ट या अन्यथा, कोई भी अनुशेष /शुद्धिपत्र अथवा पदों की संख्या में कोई परिवर्तन/पदों का निरस्तीकरण आदि केवल सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ की वेबसाइट (https://www.iitr.res.in) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से उपर्युक्त वेबसाइट देखते रहें ।

15. किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का प्रभाव डालना, चाहे राजनीतिक हो या अन्य, पद हेतु अयोग्य माना जाएगा।

16. इस विज्ञापन के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में कोई भी अंतर होने पर, अंग्रेजी वर्जन ही मान्य होगा।

<u>किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।</u>

<u>अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य की आवश्यकताओं / संदर्भ हेतु आवेदन फॉर्म की एक प्रिंटेड कॉपी डाउनलोड करके अपने पास रख लें</u>

अधोहस्ताक्षरी/-
प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नकों की सूची

क्र. सं.	संलग्नक संख्या	संलग्नकों का विवरण	पृष्ठ सं.
1	संलग्नक - I	भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप	14-15
2	संलग्नक - II	भारत सरकार के अंतर्गत पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप	16
3	संलग्नक - III	ओबीसी–एनसीएल अभ्यर्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा (डिक्लेरेशन) फॉर्म (कम्युनिटी प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)	17
4	संलग्नक -IV	आय & आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला संपत्ति प्रमाणपत्र	18
5	संलग्नक - V	फॉर्म-V निःशक्तता प्रमाणपत्र	19
6	संलग्नक - VI	फॉर्म-VI निःशक्तता प्रमाणपत्र	20-21
7	संलग्नक - VII	फॉर्म-VII निःशक्तता प्रमाणपत्र	22-23
8	संलग्नक - VIII आठवीं	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडबल्यूडी), 2016 के सेक्शन 2 (एस) के अंतर्गत आने वाली विनिर्दिष्ट निःशक्तता वाले व्यक्ति हेतु प्रमाणपत्र, परंतु उस अधिनियम के सेक्शन 2(आर) के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति, अर्थात 40% से कम निःशक्तता वाले एवं लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।	24
9	संलग्नक -IX	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडबल्यूडी), 2016 के सेक्शन 2 (एस) के अंतर्गत आने वाली विनिर्दिष्ट निःशक्तता वाले व्यक्ति का वचन- पत्र, परंतु उस अधिनियम के सेक्शन 2(आर) के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति, अर्थात 40% से कम निःशक्तता वाले एवं लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।	25
10	संलग्नक - X	खुद का स्क्राइब इस्तेमाल करने के लिए अंडरटेकिंग लेटर	26
11	संलग्नक - XI	परीक्षार्थी की लिखने की शारीरिक सीमा के बारे में प्रमाणपत्र	27
12	संलग्नक -XII	सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों हेतु आयु में छूट पाने के लिए सेवारत/सेवानिवृत्त/रिलीज़ हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।	28-30
13	संलग्नक -XIII	सीएसआईआर / सरकारी संगठनों/ स्वायत्त निकायों/ वैधानिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में वर्तमान में नियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रपत्र।	32
14	संलग्नक -XIV	अनुभव का दावा करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र	33

Annexure-I

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri / Shrimati / Kumari*………………………………………………. Son/daughter* of ………………………..………………………………………………………… of village/town*…………………………………………….. in District/Division*…………………..of the State/UnionTerritory*…………………………….belongs to the…………………………. caste/tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under: -

@ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
@ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
@ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951
@ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, i 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act. 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act. 1987.]

@ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
@ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976
@ The Constitution (Dadar and Nagar Have ii) Schedule Castes Order, 1962 @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
@ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
@ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 @ The Constitution (Goa, Daman and Dill) Scheduled Tribes Order, 1968 @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
@ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
@ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989 @ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990
@ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991
@ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act. 1991
@ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002 @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002
@ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002 @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002
@ The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another,

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribe certificate issued to Shri / Shrimati* ……………………………………………… Father / Mother of Shri / Shrimati / Kumari* ………………………………………………………………… of village/town*/Territory** ………………..

in District/Division* ………………….. of the State/Union Territory*………………..who belong to the caste/ tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/ Union Territory* issued by the ..……………………………………. dated……………………….

%3. Shri/ Shrimati/ Kumari*………………………………………………………and/ or* his/ her* family ordinarily resides in village/town*………….. of …………………………………… District/Division* of the State/ Union Territory* of……………………………………………..

Signature………………………………………..

**Designation……………………………………….

(With Seal of Office)
State/UnionTerritory*

Place: …………………………..

Date: ……………………………

* Please delete the words which are not applicable.
@ Please quote specific Presidential Order.
% Delete the paragraph which is not applicable

NOTE: The term "ordinarily reside (s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act. 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate

(i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
(ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides
(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

Note:
ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER

Form of certificate to be produced by Other Backward Classes applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari …………..………………………………. son / daughter ………………………….. of ……………………. village/town ……………………. In District/Division belongs to the ……………………………. community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. …………………………… dated ………………………………..* and/or his family ordinarily reside(s) in the……………………………………….. District/Division …………………… of the ……………………….. State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93- Estt. (SCT) dated 8.9.1993, OM No. 36033/3/2004- Estt. (Res) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14th October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013**

Signature………………………..

Designation……………………….$

Dated: …………………..

Seal: ……………………

---

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

**- As amended from time to time.

$ - List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate

(i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

Note: - The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

ANNEXURE - III

Form of declaration to be submitted by the OBC – NCL candidate (in addition to the community certificate)

I ………………………………………. Son/daughter of Shri ……………………………… resident of village / town / city ………………. district .... state ……………….. hereby declare that I belong to the ………………………………. community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36102/22/93-Estt.(SCT) dated 8-9-1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008 and as amended time to time.

I also declare that the condition of status / annual income for creamy layer of my Parents / guardian is within prescribed limits as on last date of application.

Signature …………………………
Full Name …………………………
Address …………………………

Place:…………………….
Date:……………………..

CSIR-Indian Institute of Toxicology Research
IITR
बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए
for better health and safe environment

Government of ……………………………………………….
(Name & Address of the Authority Issuing the Certificate)

Income & Asset Certificate to be produced by Economically Weaker Sections

Certificate No: ……………………………. Date: ……………………….
Valid for the year…………………………………

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari……………………………………………. Son / daughter / wife of……………………………………………… Permanent resident of, ……………………………. Village / Street, Post Office, Territory Pin Code……..… whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his / her family** is below Rs. 8 lakhs (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ………………… His / her family does not own or possess any of the following assets**:

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above
III. Residential plot of 100 SQ. Yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.

2. Shri /Smt. / Kumari……………………… belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office………………………
Name………………………
Designation ………………………

Recentpassport size attested photograph of the applicant

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

Note 2: The term "Family**" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his / her parents and siblings below the age of 18 years as also his / her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family' in different locations or different places / cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

****

Form-V

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in cases of blindness)

[See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recentpassport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No……………………………………….

This is to certify that I have carefully examined Shri / Smt / Kumari ……………………………………………….. Son / Wife / Daughter of Shri ……..………………………………... Date of Birth ………………… (DD/MM/YY) Age……… years, male / female ………. Registration No………………………… Permanent resident of House No …………………………………………………………………………………… Ward / Village / Street……………………………….. Post Office …………………… District…………………………………………State …………………… Whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) He/She is a case of:

- Locomotor disability
- Dwarfism
- Blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his / her case is ……………………………………………

(A) He / she has………………………………….% (in figure) …………………… percent (in words) permanent Locomotor Disability / dwarfism / blindness in relation to his / her …………………… (part of body) as per guidelines (…………………………………… number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

Nature of Document	Date of Issue	Details of Authority Issuing Certificate

(Signature and seal of Authorised Signatory of Notified Medical Authority)

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Annexure –VI

Form-VI

Certificate of Disability

(In cases of Multiple Disabilities)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recentpassport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. ……………………………….. Date:……………………..

This is to certify that we have carefully examined Shri /Smt. / Kumari. ………………………………………… son / wife / daughter …………………………………of Shri ………………………………………. Date of Birth (DD/MM/YY) …………………… Age …………………….. years, male / female. Registration No. …………………………………………… permanent ………………………………..resident of House No. …………………………… Ward / Village / Street ……………………….. Post Office ………………..District ………………………… State, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) He/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guideline (………………………………… number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

Sl. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	€		
10.	Hard of Hearing	€		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			

Sl. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability (in%)
16.	ChronicNeurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson’s disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (………………………………… number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:
In figures ……………………………… percent
In Words …………………………………………… percentage

3. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

4. Reassessment of disability is:
   i) not necessary
   OR
   ii) is recommended/ after …………………………… years …………….. months, and therefore this certificate shall be valid till …………………… (DD)/(MM)/(YY)

   @ - eg. Left/Right/both arms/legs
   # - eg. Single eye /both/eyes
   € - eg. Left/Right/both ears

5. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

Nature of Document	Date of Issue	Details of Authority Issuing Certificate

6. Signature and Seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/Thumb impression of the person in whose favour Certificate of Disability is issued.

Annexure – VII

Form-VII
Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
[See rule 18(1)]

Recentpassport size attested photograph (showing face only) of the erson with disability

Certificate No. ……………………………….. Date:……………………..

This is to certify that I have carefully examined Shri / Smt / Kum ………………………………………… son / Wife / daughter of Shri ………………………………. Date of Birth (DDD/MM/YY) ……………….. Age ………. years, male / female ……….. Registration No. …………………………….. permanent resident of House No. ……………………………… Ward/Village/Street ………………………… Post Office …………………… District ……………….. State ………………………., whose photograph is affixed above, and am satisfied that he / she is a case of ……………………………………… Disability. His/her extent of percentage physical impairment / disability has been evaluated as per guidelines (…………………………… number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

Sl. No.	Disability	Affected Part Of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability (in%)
1.	Locomotor disability			
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson’s disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(please strike out the disabilities which are not applicable).

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:
   i) not necessary
   OR
   ii) is recommended / after …………………………… years …………….. months, and therefore this certificate shall be valid till …………………… (DD)/(MM)/(YY)

@ - eg. Left/Right/both arms/legs
# - eg. Single eye /both/eyes
€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

Nature of Document	Date of Issue	Details of Authority Issuing Certificate

(Authorised Signatory of Notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned
(Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a Medical Authority
who is not a Government Servant (with Seal))

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Note: In case this Certificate is issued by a Medical Authority who is not a Government Servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
CSIR-Indian Institute of Toxicology Research
IITR
बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए
for better health and safe environment

<u>Annexure-VIII</u>

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

This is to certify that, we have examined Mr/Ms/Mrs ……………….................. (name of the candidate), S/o /D/o ……………..…………………….…, a resident of ……………………………… (Vill/PO/PS/District/State), aged .... years, a person with ……………………….… (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is / are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3.This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto ……………………. (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the Medical Authority)

Signature of Medical Authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic / PMR specialist	Clinical Psychologist / Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist/ Special Educator	Neurologist(if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer………Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place: ……………….

Date: ………………..

Annexure – IX

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I ……………………………….., candidate with ……………………..… (nature of disability / condition) appearing for the ………………………. (name of the examination) bearing Roll No. ……………… at ……………………………. (name of the centre) in the District ……………………………, ……………………. (name of the state). My educational qualification is ………………………… -

1. I do hereby state that ……………………………………….. (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

2. I do herby undertake that his qualification is ……………………………….. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)
(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place: ……………….

Date: ………………..

CSIR-Indian Institute of Toxicology Research
IITR
बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए
for better health and safe environment

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I ………………………………….., a candidate with ……………………………………… (name of the disability) appearing for the …………………………………….. (name of the examination) bearing Roll No. ……………………………… at ………………………………..(name of the centre) in the District ………………………….., …………………………….. (name of the State/UT). My qualification is ……………………………………………………….

I do hereby state that ………………………………………. (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his/her qualification is …………………………………... In case, subsequently it is found that his / her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place: ……………….

Date: ………………..

CSIR-Indian Institute of Toxicology Research
सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
IITR
बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए
for better health and safe environment

Annexure-XI

Certificate Regarding Physical Limitation of an Examinee to Write

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs…………………………………. (name of the candidate with disability), a person with ………………………………..(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o, D/o ………………………………………..a resident of ……………………………… (Village/District/Sate) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owning to his/her disability.

Signature
Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Medical
Superintendent of a Government
Health care Institution
Name & Designation
Name of Government Hospital / Health Care Centre with Seal

Place: ……………….

Date: ………………..

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic specialist / PMR).

Annexure - XII

Certificate to be Produced by Serving/Retired/Released Armed Forces Personnel for availing the Age Concession for Posts Filled by Direct Recruitment

A. Form of Certificate applicable for Released/Retired Personnel

It is certified that Rank …………………………… Name ………………………..whose date of birth is ….................... has rendered service from .... to .... in Army/ Navy/Air Force.

2. He has been released from military services:

% a) on completion of assignment otherwise than

i) by way of dismissal, or
ii) by way of discharge on account of misconduct or inefficiency, or
iii) on his own request, but without earning his pension, or
iv) he has not been transferred to the reserve pending such release

% b) on account of physical disability attributable to Military Service.

% c) on invalidment after putting in at least five years of Military service

3. He is covered under the definition of Ex-Serviceman (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules. 1979 as amended from time to time

Place: …………...........
Date: …………............

Signature, Name and Designation of the
Competent Authority**
SEAL

%. Delete the paragraph which is not applicable.

भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
IITR
बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए
for better health and safe environment
CSIR-Indian Institute of Toxicology Research

B. Form of Certificate for Serving Personnel

(Applicable for serving personnel who are due to be released within one veal')

It is certified that No. ……………………. Rank ………………. Name ………………………………….. is serving in the Army / Navy / Air Force from ……………………….

2. He is due for release retirement on completion of his specific period of assignment on ………..….

3. No disciplinary case is pending against him.

Place: …………………………………

Date: …………………………………

Signature, Name and Designation of the
Competent Authority***
SEAL

Candidate (Serving Personnel) furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking:

Undertaking to be given by serving Armed Force personnel who are due to be released within one year

I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Place: …………………………………

Date: …………………………………

Signature and Name of Candidate

C. Form of Certificate applicable for Serving ECOs/SSCOs who have already completed their initial assignment and are on extended assignment

It is certified that No. ………………………. Rank ………………………………. Name ………………………………… whose date of birth is ……………………… serving in the Army / Navy / Air Force from……………………………

2. He has already completed his initial assignment of five years on ……………………… and is on extended assignment till....................

3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Place: …………………………………
Date: …………………………………

Signature, Name and Designation of the
Competent Authority***
SEAL

Annexure-XIII

FORMAT OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE' FROM THE EMPLOYER OF CANDIDATE CURRENTLY WORKING AS REGULAR EMPLOYEE IN CSIR/ GOVERNMENT ORGANISATIONS /AUTONOMOUS BODIES /STATUTORY BODIES/ UNIVERSITIES/ PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS etc.

(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)

No. …………… **Date:** [DD/MM/YYYY]

No Objection Certificate for Applying to Advertisement No. [Advertisement Number]

This is to certify that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee], [Designation], is a permanent/regular employee of this department/organization and has been serving in the capacity of [Current Position] since [Joining Date].

This department/organization has no objection to his/her applying for the position advertised vide Advt. No. [Advertisement Number] dated [Advertisement Date] for the position of [Post Code/Position].

It is also certified that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is not currently undergoing any penalties under the applicable conduct rules and Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is neither under suspension, nor any vigilance, disciplinary, or criminal cases is pending against him/her as of the date of issuance of this certificate.

This certificate is issued at the request of the applicant for the purpose of applying to the said advertisement.

Place: ....

For [Name of Department/Organization],

[Signature of Issuing Authority]
[Name of Issuing Authority]
[Designation of Issuing Authority]
[Official Seal/Stamp]
[Contact Information]
[Department/Organization Address]

CSIR-Indian Institute of Toxicology Research
सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
IITR
बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए
for better health and safe environment

Annexure-XIV

The form of certificate to be produced by Candidates applying for post of Driver for claiming experience

Experience Certificate

Letter Head of the Institution Issuing Authority

Telephone No…………………….

Name of Organization

Address of the Organization

Dated………………..

This is to certify that Shri/Ms……………………….. S/o, D/o, W/o Shri.................................. was/ is an employee of this Ministry / Department / Organization / Institution / Firms and duties performed by him/her during the period(s) are as under

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total period dd/mm/yy	Nature of Appointment-Permanent, Regular, Temporary, Part-time, Contract, Guest, Honorary etc	Duties performed/experience gained in driving LMV/HMV or both in brief. (Please give details, if need be, in attached sheet)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2. It is certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Ministry / Department / Organization / Institution / Firms.

Signature

Name of competent authority
Stamp of competent authority